



पत्रांक : CCE/Admn./2020/Spl./5;

Date: 17<sup>th</sup> April 2020

—:: कार्यालय आदेश ::—

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के आदेश क्रमांक CCE/Acad./2020/Spl./3 दिनांक 13 अप्रैल 2020 के क्रम में वर्क फॉर्म होम के अन्तर्गत किये गये कार्यों की मॉनिटरिंग हेतु महाविद्यालयों से प्राप्त दोनों फॉर्मेट्स (फॉर्मेट्स A & B) के मूल्यांकन हेतु आयुक्तालय सतर पर निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति बनाई जाती है।

- |                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 1. डा. आर. सी. मीणा, संयुक्त निदेशक (HRD)     | — समन्वयक |
| 2. डा. अन्सार अहमद, संयुक्त निदेशक (P&C)      | — सदस्य   |
| 3. डा. दीपक मेहरा, संयुक्त निदेशक (Acad.)     | — सदस्य   |
| 4. डा. के. एल. सिराधना, संयुक्त निदेशक (Admn) | — सदस्य   |
| 5. डा. सुभाष यादव, सहायक निदेशक (HRD)         | — सदस्य   |

यह समिति सभी महाविद्यालयों से प्राप्त दोनों फॉर्मेट्स का गुणावगुण आधार पर अवलोकन कर निम्नलिखित बिन्दुओं को परिप्रेक्ष्य में अविलम्ब स्पष्टतः अभिषंशा करेगी। संयुक्त निदेशक अकादमिक सभी महाविद्यालयों से प्राप्त भरे हुए दोनों फॉर्मेट्स की प्रतियां इस समिति को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

1. उन लोगों के नामों की सूची जिन्होंने **वर्क फॉर्म होम के** अन्तर्गत निर्देशानुसार दैनिक आधार पर **बेहतर कार्य निष्पादन किया है।**
2. उन लोगों के नामों की सूची जिन्होंने वर्क फॉर्म होम के अन्तर्गत निर्देशानुसार दैनिक आधार पर **अपेक्षित पूर्ण कार्य निष्पादन नहीं किया है, तथा जिन्हें कार्य पूर्णता के लिये एक और अवसर दिया जाना चाहिये।**
3. उन लोगों के नामों की सूची जिन्होंने वर्क फॉर्म होम के अन्तर्गत निर्देशानुसार दैनिक आधार पर **कार्य निष्पादन नहीं किया है, और जिन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया जाना चाहिये।**

प्रदीप कुमार बोरड, IAS  
आयुक्त कॉलेज शिक्षा

पत्रांक : CCE/Admn./2020/Spl./6-7; Date: 17<sup>th</sup> April 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. उप विधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
8. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
9. समस्त प्रभारी अधिकारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
10. वैब प्रभारी को अपलोड/ई-मेल करने हेतु। साथ ही, आकाशि की IT Cell समिति को वांछित सहयोग करे।
11. रक्षित पत्रावली।

बी. एल. गोयल, RAS  
अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा